

न्यायालय अपरवाण्ड अधिकारी, पिडावा

जिला - झालावाड़ (राज.)

गजेश

बनाम

तेज सिंह

किस्म मुकदमा

प्राठ पत्र

नं.

37

सन

2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
05/03/2025	<p>पत्रावली पेशा हुई। कमील कम्प पत्र उपरिखत। प्रार्थी/प्रति 1 के प्राठ पत्र OS R7-CPC R.W.S 151 of the CPC पर वहेस सुनी गई। कमील प्रार्थी द्वारा वहेस प्राठ पत्र के दौरान कथन किया कि प्रकरण एड 74/2016 कवान गजेश बनाम तेजसिंह में मे प्रति क्रम 1 निपासित रूप से प्रत्येक तारीख पेशी पर उपरिखत होता रहा था लेकिन प्रार्थी के नमसीकी रिशेडर की मृत्यु हो जाने से प्रार्थी दिनांक 24/01/2019 को निपत तारीख पेशी पर उपरिखत नहीं हो पाया था। जैसे ही प्रार्थी को कम्पनीय कार्यवही की जानकारी हुई थी, प्रार्थी बिना कोई विलम्ब किये Next hearing date 28/3/2019 को मसामप में उपरिखत ठीकर प्राठ पत्र OS R7-CPC पेशा कर दिया था। प्रश्न: प्रकरण में प्रार्थी के कारण के लीकार प्रार्थी को कम्पनीय पत्र रखने का माका प्रदान कर प्रकरण को गुणावृत्त पर निपासित किया जावे।</p> <p>2. कमील प्रार्थी/प्रति/वादी/वादी द्वारा कथन किया कि (रिजली वहेस) प्रार्थी द्वारा इजाजत रिशेडर की मृत्यु का कोई लाकम पेशा नहीं किया</p>	



